भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 2534

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव**

**2534. डा. सांतनु सेनः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आने के कारण देश में पर्यटकों की आमद प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित गंतव्य स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यटन स्थलों पर आपदा जोखिम को कम करने और प्रबंधन संबंधी उपायों को सुदृढ़ किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख) : देश में पर्यटकों की आमद पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का आंकलन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट औपचारिक अध्ययन नहीं करवाया गया है । गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू पर्यटक आगमन (डीटीवी) तथा विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थलों सहित देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं । जिनका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(ङ.) और (च) : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) गृह मंत्रालय के तहत, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह सभी सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और लोगों की भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली क्षति और विनाश को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास करता है । हालांकि, पर्यटन स्थलों पर आपदा जोखिम को कम करने और प्रबंधन उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं करवाया गया है ।

*****

**अनुबंध - I**

पर्यटन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव के संबंध में दिनांक 24.03.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2534 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान घरेलू पर्यटक आगमन (डीटीवी) तथा विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीवी)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डीटीवी | एफटीवी | डीटीवी | एफटीवी | डीटीवी | एफटीवी |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 498279 | 15242 | 505398 | 16206 | 191207 | 5412 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 194767874 | 281083 | 237051508 | 280356 | 70828590 | 67591 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 512436 | 7653 | 555639 | 7825 | 42871 | 961 |
| 4 | असम | 4710617 | 15592 | 5447805 | 26878 | 1266898 | 7285 |
| 5 | बिहार | 33621613 | 1087971 | 33990038 | 1093141 | 5638024 | 308080 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1538796 | 39681 | 1563795 | 44132 | 417953 | 12218 |
| 7 | छत्तीसगढ | 19329501 | 14399 | 17304506 | 6817 | 2810227 | 2322 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 609435 | 1608 | 618330 | 1666 | 104959 | 222 |
| 9 | दमन और दीव | 898824 | 5694 | 897804 | 5703 | 297436 | 1382 |
| 10 | दिल्ली # | 29114423 | 2740502 | 36467598 | 2983436 | 9583671 | 681230 |
| 11 | गोवा | 7081559 | 933841 | 7127287 | 937113 | 3258715 | 302751 |
| 12 | गुजरात | 54369873 | 513113 | 58864661 | 595607 | 19464517 | 210047 |
| 13 | हरियाणा | 4888952 | 73977 | 4549017 | 48046 | 2114731 | 17474 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 16093935 | 356568 | 16829231 | 382876 | 3170714 | 42665 |
| 15 | झारखंड | 35408822 | 175801 | 35580768 | 176043 | 2574704 | 490 |
| 16 | जम्मू और कश्मीर | 17076315 | 139520 | 16163330 | 57920 | 2519524 | 5317 |
| 17 | कर्नाटक | 214306456 | 543716 | 227934714 | 608754 | 77453339 | 165325 |
| 18 | केरल | 15604661 | 1096407 | 18384233 | 1189771 | 4988972 | 340755 |
| 19 | लक्षद्वीप | 10435 | 1313 | 6985 | 820 | 3462 | 413 |
| 20 | लद्दाख | - | - | 241285 | 38652 | 6743 | 1126 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 83969799 | 375476 | 88707139 | 327958 | 23519632 | 99819 |
| 22 | महाराष्ट्र # | 119191539 | 5078514 | 149294703 | 5528704 | 39234591 | 1262409 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | मणिपुर | 176109 | 6391 | 167560 | 13608 | 49669 | 3139 |
| 24 | मेघालय | 1198340 | 18114 | 1245633 | 25813 | 24734 | 2311 |
| 25 | मिजोरम | 76551 | 967 | 163762 | 2249 | 30890 | 265 |
| 26 | नागालैंड | 101588 | 5010 | 125949 | 5577 | 10979 | 518 |
| 27 | उड़ीसा | 15208540 | 110818 | 15307637 | 115128 | 4622273 | 10206 |
| 28 | पुदुचेरी | 1616660 | 141133 | 1713248 | 149919 | 1114942 | 92080 |
| 29 | पंजाब | 44595061 | 1200969 | 47385387 | 1101343 | 16692197 | 359114 |
| 30 | राजस्थान | 50235643 | 1754348 | 52220431 | 1605560 | 15117239 | 446457 |
| 31 | सिक्किम | 1426127 | 71172 | 1421823 | 133388 | 316408 | 19935 |
| 32 | तमिलनाडु | 385909376 | 6074345 | 494865257 | 6866327 | 140651241 | 1228323 |
| 33 | तेलंगाना | 92878329 | 318154 | 83035894 | 323326 | 39997001 | 46694 |
| 34 | त्रिपुरा | 414388 | 102861 | 437201 | 154405 | 127815 | 31877 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 285079848 | 3780752 | 535855162 | 4745181 | 86122293 | 890932 |
| 36 | उत्तराखंड | 35609650 | 151320 | 37585920 | 152273 | 7005264 | 41339 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 85657365 | 1617105 | 92366025 | 1656145 | 28841732 | 463285 |
| | कुल योग | 1853787719 | 28851130 | 2321982663 | 31408666 | 610216157 | 7171769 |

स्त्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभाग।

# 2018 के आंकड़ों पर 2019/18 के लिए अखिल भारतीय विकास दर लागू करके 2019 के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है और 2019 के आंकड़ों पर 2020/19 के लिए अखिल भारतीय विकास दर को लागू करके 2020 के डेटा का अनुमान लगाया गया है ।

*****

**अनुबंध - II**

पर्यटन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव के संबंध में दिनांक 24.03.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2534 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थलों सहित देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. पर्यटकों की सहायता के लिए 24X7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन ।
ii. अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता कार्यक्रम, जो कि सुप्रशिक्षित तथा प्रमाणित पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से आधारभूत, उच्च, मौखिक विदेशी भाषा तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू की गई अखिल भारतीय टिजिटल पहल है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता मिलेगी ।
iii. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति के प्रशिक्षण तथा उन्नयन हेतु सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रमों का आयोजन ।
iv. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं ।
v. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।
vi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।
vii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है ।
viii. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है ।
ix. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।
x. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे । पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क

वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा । यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी ।

xi. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता । इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टीटीएस) को कवर किया जाएगा। टीटीएस प्रत्येक को 10 लाख रुपये तक का ऋण पाने के लिए पात्र होंगे। जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड एक लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं । कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फोरक्लोज़र/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी । पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से येाजना संचालित की जाएगी ।

xii. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने ''देखो अपना देश'' के समग्र विषय के तहत वेबिनारों की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की । इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है ।

*****